संख्या-2024/001-251422024

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-10/02/2024

विषय:- गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ को वित्तीय वर्ष- 2023-24 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद से चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी0-1252/स्पो0का0/2023-24, दिनांक 24.01.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 में गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख (पांच करोड रूपये मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-2023/001-1420422023, दिनांक 20.04.2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 83.33 लाख की स्वीकृति, शासनादेश संख्या-2023/002-2439422023 दिनांक 01.11.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 83.33 लाख की स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-2024/001-3614422023 दिनांक 09.01.2024 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 83.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त धनराशि अवमुक्त करने के पश्चात गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ हेतु 20-सहायता अनुदान (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि में से चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 83,33,000/-(रुपये तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाएगा।

(2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, खेल का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी0-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, खेल द्वारा योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, खेल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, खेल का होगा।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(11) उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा 369 एच के अनुसार शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को तत्समय उपलब्ध करा दी जाये।

(12) उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/ पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या 315/दस-सं0-वि0वि0-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पूर्व वर्षों की देनदारियों पर नहीं किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल निदेशक, खेल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी तथा सचिव, उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के माध्यम से व्यय हेतु प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के निर्वतन पर रखी जायेगी।

(15)- स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार आहरित किया जायेगा। स्वीकृत अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 5 भाग- 1 के अध्याय-16 में दिये गये अध्यावधिक नियम भी लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इस अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बी0एम0-13 प्रपत्र शासन एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16)- स्वीकृत धनराशि का यथावश्यकता मदवार फॉट बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान से प्रतिबद्ध मदों का व्यय वहन करने के पश्चात ही मितव्ययी मदों में उपयोग किया जायेगा।

(17) उक्त से सम्बन्धित सहायता नियमावली यथाशीघ्र नियमानुसार प्रख्यापित करा ली जायेगी।

(18) गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के व्यय-विवरण निदेशक खेल से सत्यापित करा लिये जायेंगे।

(19) गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ द्वारा स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की आडिट रिपोर्ट में की गयी आपत्तियों का निराकरण आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,33,000 (रुपये तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 2204001042302 स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ को अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-201-X-2023-24-दिनांक:8-2-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार-।।

विशेष सचिव।

संख्या-2024/001-251422024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- सचिव, उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ।

4- प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

7- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

हृदय नारायण सिंह यादव

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in